नम्बर
अहकाम
हुक्म की
जारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री **कैलाश चन्द गुर्जर** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 09/2022

1– प्रेमसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट तहसील कामां जिला डीग

2– राजू शर्मा पुत्र कान्ति प्रसाद शर्मा कौम ब्राहम्ण निवासी कस्बा कामां तहसील कामां जिला डीग

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, कामां (डीग) राजस्थान

अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 136एलआरएक्ट

उपस्थित अधिवक्ता

1–श्री देवेन्द्रसिंह प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1139/0.40 हैक्टर बांके कस्बा कामां नं0 2 तहसील कामां में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2077 व नक्शा ट्रेस हाल, नक्शा ट्रेस साविक खसरा नम्बर 2812/0.40, जमाबन्दी सम्वत 2067 लगायत 2070 संलग्न है। आराजी साविक खसरा नम्बर 2812/0.40 हैक्टर बांके कस्बा कामां नं0 2 था व हाल खसरा नम्बर 1139/0.40 हैक्टर जिसका नामान्तकरण संख्या 06 दिनांक 02/06/2021 से विरासतन ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल कौम ब्राहम्ण निवासी कामां खातेदार काश्तकार काबिज स्वीकार हुआ व उक्त आराजी के खसरा नम्बर 1139/0.40 में से नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 17/08/2021 को बेचान से प्रार्थीगण प्रेमसिंह पुत्र गिर्राज सिंह का 3/40 हिस्सा व राजू शर्मा पुत्र क्रान्ति प्रसाद शर्मा का 3/20 हिस्सा कुल रकबा 0.09 हैक्टर के खातेदार काबिज स्वीकार हुये। नामान्तकरण संख्या 54 विभाजन का है। जिसके जरिये खसरा नम्बर 1139 का नजरी नक्शा बनाया गया व मौके पर प्रार्थीगण को दक्षिण दिशा में पहाडी वाली सडक से लगता हुआ दर्शाते हुये व पूर्ण दिशा में जुरहरा वाली सडक से लगता हुआ दर्शाते हुये मौके पर कब्जा दिया गया और मुताबिक बंटवारे के बाद से ही इसी प्रकार से प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज रहकर उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहे है। बन्देबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 2812 के नये खसरा नम्बर कायम किये गये जिसमें प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1139 का रकबा 0.09 कायम कर मिशन बन्दोबस्त में दर्ज कर दिये लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना मौके की जाँच किये खिलाफ कानून व मौका व कब्जा को बिना जांचे प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1139/0.09 को नक्शा ट्रेस में पूर्ण आराजी को पूरब से पश्चिम दिशा में दर्शाया जबकि प्रार्थीगण का पश्चिम दिशा में कोई रकबा नहीं है। उक्त आराजी में से पश्चिम दिशा में मौके पर सिंचाई विभाग का कार्यालय बना हुआ है। जिसको बन्दोबस्त विभाग ने नक्शा मौके में दर्शाया ही नहीं है। जो गलत व खिलाफ कानून है। जबकि प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 1139/0.09 हैक्टर रकबे के पूर्व दिशा में जुरहरा वाली सडक से लगता हुआ व दक्षिण दिशा में पहाडी वाली सडक से लगता हुआ मौके पर कब्जा है। इसलिए प्रार्थीगण मौका कब्जा के अनुसार नक्शा ट्रेस बन्दोबस्त में शुद्धि करवाना चाहते है। जो कि न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार फरमाया जावे कि हाल बन्दोबस्त नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1139/0.09 को हाल मौका कब्जा के अनुसार जुरहरा वाली सडक पूर्व दिशा से लगता हुआ पहाडी वाली सडक दक्षिण दिशा से लगता हुआ नक्शा ट्रेस कायम किया जावें।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कामां–2 के साविक आराजी खसरा नम्बर 2812/0.80 के हाल नम्बर 1138/0.40, 1139/0.40 बनाये गये है। जिसमें प्रार्थीगण प्रेमसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट सा. ऐंचवाडा का

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

राजू शर्मा पुत्र कान्ति प्रसाद कौम ब्राहम्ण निवासी कामां के आराजी ख.न. 1139/0.40 है में नक्शा में द्धि चाही है जो पटवारी हल्का कामा–2 राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति निम्न प्रका है:–

1. यह है कि कामा–2 के साविक ख.न. 2812/0.80 के बन्दोबस्त विभाग के नवीन नम्बर 1138/0.40, 1139/0.40 बनाये है।
2. यह है कि आ.ख.न. 1138/0.40 सिवायचक किस्म गै.मु. खाई एवं आ.ख.न. 1139/0.40 किस्म गै.मु. खाई ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण सा. कामां खातेदार था जिसमें इस 49 दिनांक 17/2/2021 जरिये वयनामा से प्रेमसिंह हि. 3/40 व राजू शर्मा हि. 3/20 रकवा खरीदा था। इसके पश्चात इस 54 विभाजन से औमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कामां आ.ख.न. 3160/1139/0.31 तथा प्रेमसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट हि 1/3 सा. ऐंचवाडा व राजू शर्मा पुत्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा. कामां हि 2/3 खातेदार आ.ख.न. 3161/1139/0.09 दर्ज रिकॉर्ड है।
3. मौके के अनुसार आ.ख.न. 1138/0.40 सिवायचक गै.मु. खाई तथा आ.ख.नं.3160/1139 रकबा 0.31 है में महकमा सिंचाई विभाग के कार्यालय बने हुये है। आ.ख.न. 3161/1139 रकबा 0.09 मौके पर खाली पडा है।
4. बन्दोबस्त विभाग के द्वारा साविक खसरा नम्बर 2812/0.80 हाल नम्बर 1138/0.40, 1139/0.40 की तरमीम में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में लाईन (मेड) डाली गयी है । जो बन्दो विभाग के द्वारा नक्शा बनाया गया है । जो निम्न प्रकार से है –

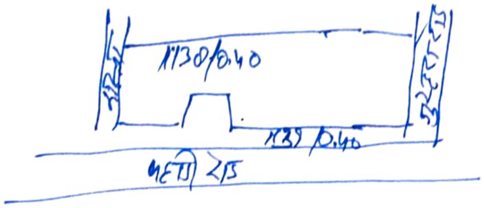

5. आ0ख0नं0/0.40 को विभाजन के पश्चात नवीन नक्शा की स्थिति निम्न प्रकार से है –

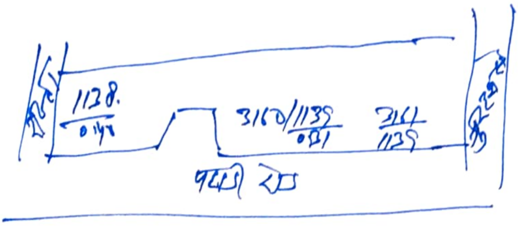

6. मौके अनुसार आ0खनं0 1138/0.40 तथा 3160/1139 रकबा 0.39 है0 में पश्चिम दिशा में महकमा सिंचाई विभाग के कार्यालय एवं निवास बने हुये है। तथा पूर्व दिशा में (पहाडी रोड व जुरहरा रोड से लगता हुआ) आ.ख.नं. 3116/1138 रकबा 0.09 खाली पडा हुआ है।
7. मौके के अनुसार आ.ख.नं. 1138/0.40 ,1139/0.40 के पश्चिम दिशा में 0.71 है0 पर महकमा सिंचाई विभाग के कार्यालय एवं निवास बने हुये है। तथा पूर्व दिशा में 0.09 रकबा खाली पडा हुआ है जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रेमसिंह व राजू शर्मा के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसकी मौका स्थिति निम्न प्रकार है।

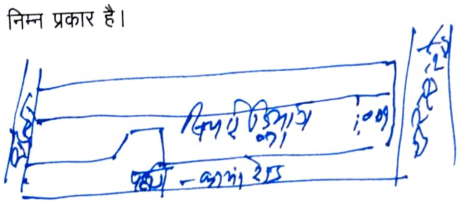

8. यह है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार साविक आ.ख.नं. 2812/0.80 है0 है। जिसके हाल नम्बर 1138/0.40 व 1139/0.40 है। जबकि नक्शा सीट में 1138/0.40 , 1139/0.40 की रकबा वरारी करने पर नक्शा का रकबा जमाबन्दी की तुलना में कम आता है।
9. मौके के अनुसार नवीन नक्शा में तरमीम निम्नानुसार होनी चाहिए थी।

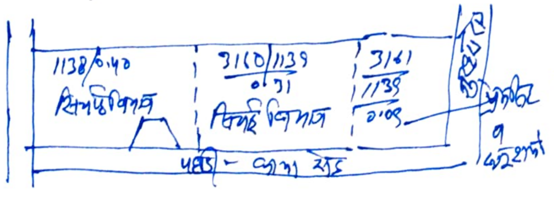

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

10\. यह रकबा आराजी ख.न. 2812/1 (नया 1139) विवादित रहा है। जिसमें श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कामां में निर्णय दिनांक 10.2.2021 को अपने निर्णय में आ.ख.नं 2812/1/0.40 (नया 1139) में से 1 बीघा 18 किस्वा भूमि सिंचाई विभाग के कब्जे में मानते हुये एवं 12 विस्वा यानि लगभग 0.09 है0 मोतीलाल के वारिसों के कब्जे में मानते हुये खातेदारी होना माना ह। जिसमें नगरपालिका की दुकाने एवं शिव परिवारी की चबूतरी बनी हुयी है। जो मूर्तियां खण्डित है। खाली रकबा जुरहरा रोड व पहाडी रोड से लगा हुआ है।

11\. उक्त आराजी ख.नं. 2812/1 (नया 1139/0.40) एक वाद श्रीमान न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कामां में दायर हुआ था जिसके निर्णय में श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कामां में बृजलाल व महेन्द्रसिंह वगैरहा की प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार करके श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के निर्णय दिनांक 10/2/2021 की पुष्टि की है।

12\. इसके पश्चात उक्त आराजी पर नगरपालिका कामां जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कामां द्वारा प्रतिवादीगण औमप्रकाश वेदप्रकाश पि0 मोतीलाल जाति ब्राहम्ण,बृजलाल पुत्र लालाराम सैनी, व महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाट पर श्रीमान न्यायाल सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0 महोदय कामां के यहां वाद दायर किया गया। जिसमें श्रीमान न्यायालय के द्वारा विवादित स्थल की मौके की यथास्थित बनाये रखने बावत पाबन्द किया जाता है। उक्त रकबा पर वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सं0 2074–2077 व नक्शा फोटो प्रति 2 प्रति जमाबन्दी सं0 2067–2070, अपर जिला एंव सेंशन न्यायाधीन कामां बृजलाल बनाम अल्लादीन वगैरा की फोटो प्रति व आर्डरशी दिनांक 8.3.2022, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट कामां को पेश स्थायी निषेधाज्ञा की प्रति शामिल है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । उपलब्ध दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार कामां का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कामां ने अपने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि आ.ख.न. 1138/0.40 सिवायचक किस्म गै.मु. खाई एवं आ.ख.न. 1139/0.40 किस्म गै.मु. खाई ओमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण सा. कामां खातेदार था जिसमें इस 49 दिनांक 17/2/2021 जरिये बयनामा से प्रेमसिंह हि. 3/40 व राजू शर्मा हि. 3/20 रकवा खरीदा था। इसके पश्चात इस 54 विभाजन से औमप्रकाश पुत्र मोतीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कामां आ.ख.न. 3160/1139/0.31 तथा प्रेमसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाट हि 1/3 सा. ऐंचवाडा व राजू शर्मा पुत्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण सा. कामां हि 2/3 खातेदार आ.ख.न. 3161/1139/0.09 दर्ज रिकॉर्ड है। मौके के अनुसार आ.ख.न. 1138/0.40 सिवायचक गै.मु. खाई तथा आ.ख.नं.3160/1139 रकबा 0.31 है में महकमा सिंचाई विभाग के कार्यालय बने हुये है। आ.ख.न. 3161/1139 रकबा 0.09 मौके पर खाली पडा है। साविक खसरा नम्बर 2812/0.80 हाल नम्बर 1138/0.40, 1139/0.40 की तरमीम में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में लाईन (मेड) डाली गयी है । मौके अनुसार आ0ख0न0 1138/0.40 तथा 3160/1139 रकबा 0.39 है0 में पश्चिम दिशा में महकमा सिंचाई विभाग के कार्यालय एवं निवास बने हुये है। तथा पूर्व दिशा में (पहाडी रोड व जुरहरा रोड से लगता हुआ) आ.ख.नं. 3116/1138 रकबा 0.09 खाली पडा हुआ है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार साविक आ.ख.नं. 2812/0.80 है0 है। जिसके हाल नम्बर 1138/0.40 व 1139/0.40 है। जबकि नक्शा सीट में 1138/0.40 , 1139/0.40 की रकबा वरारी करने पर नक्शा का रकबा जमाबन्दी की तुलना में कम आता है। आराजी ख.न. 2812/1 (नया 1139) विवादित रहा है। जिसमें इस न्यायालय निर्णय दिनांक 10.2.2021 को अपने निर्णय में आ.ख.नं. 2812/1/0.40 (नया 1139) में से 1 बीघा 18 किस्वा भूमि सिंचाई विभाग के कब्जे में मानते हुये एवं 12 विस्वा यानि लगभग 0.09 है0 मोतीलाल के वारिसों के कब्जे में मानते हुये खातेदारी होना माना ह। जिसमें नगरपालिका की दुकाने एवं शिव परिवारी की चबूतरी बनी हुयी है। जो मूर्तियां खण्डित है। खाली रकबा जुरहरा रोड व पहाडी रोड से लगा हुआ है। आराजी ख.नं. 2812/1 (नया 1139/0.40) एक वाद श्रीमान न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कामां में दायर हुआ था जिसके निर्णय में श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कामां में बृजलाल व महेन्द्रसिंह वगैरहा की प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार करके श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कामां के निर्णय दिनांक 10/2/2021 की पुष्टि की है । अतः मौके के अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है । तथा तहसीलदार कामां के रिपोर्ट व मौके के अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि की जाती है । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2024 को पढकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,कामां (डीग

उपखण्ड अधिकारी
कामां (डीग) राज०